कार्यालय जिलाधिकारी बलिया

(खनन अनुभाग)

पत्रांक 176 (18) खनिज / नीलामी / 2017–2018 दिनांक 25-6-18

सार्वजनिक नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार प्रान्त से अवैध खनन कर जनपद बलिया के तहसील बैरिया के भिन्न–भिन्न गांवो के स्थलों पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये जब्तशुदा लाल बालू/मोरम के ग्रामवार निम्नलिखित भण्डारों (जिसे मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2017 व दिनांक 08.12.2017 द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में अवमुक्त करते हुये नीलामी के माध्यम से निस्तारण करने का आदेश दिया गया है) का निस्तारण अधोलिखित शर्तो के अधीन सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से दिनांक 6-7-18 को समय 12 बजे पूर्वान्ह से कलेक्ट्रेट,बलिया स्थित सभागार में की जायेगी।

क्र0 सं0	भण्डारण स्थल का विवरण	भण्डारित लाल बालू/मोरम की मात्रा (घनमी0 में)	न्यूनतम सरकारी बोली की धनराशि (रू0 में)	भण्डारित खनिज के हटाये जाने (विक्रय एंव परिवहन) हेतु निर्धारित समयावधि
1	2	3	4	5
1	दलनछपरा, रमाशंकर के घर के पास	40	6000.00	3 दिन
2	ग्राम बहुआरा	280.5	42075.00	7 दिन
3	सिवान टोला	288.13	43220.00	7 दिन
4	भवन टोला में सती माई स्थान पर	78.75	11813.00	3 दिन
5	जे0पी0 नगर से भवन टोला की ओर जाने वाले लिंक रोड़ के दोनो ओर	2774.90	416235.00	15 दिन

नीलामी की शर्तेः–

1. इच्छुक बोलीदाता किसी भी बालू भण्डार के लिये नीलामी बोली में भाग लेने से पूर्व स्वंय मौके पर जाकर ऐसे बालू भण्डार के भौतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। नीलामी बोली की समाप्ति के उपरान्त किसी भी बालू भण्डार की भौतिक स्थिति के सम्बन्ध में कोई आपत्ति स्वीकार्य नही होगी।
2. स्तम्भ चार में अंकित न्यूनतम बोली की धनराशि का निर्धारण उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली व शासनादेशो के कम में किया गया है।

Scanned by CamScanner

3. इच्छुक बोलीदाता को नीलामी बोली में भाग लेने से पूर्व समिति के अध्यक्ष के समक्ष दिनांक ....5-7-10........... समय 05 बजे अपरान्ह तक खनन कार्यालय में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करना होगा:–

   (क) अर्नेस्ट मनी के रूप में जिलाधिकारी बलिया के पक्ष में प्रत्येक भण्डार के लिए न्यूनतम सरकारी बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत के समतुल्य बैंक ड्राफ्ट।

   (ख) बोलादाता का आधार कार्ड।

   (ग) पैन कार्ड

4. प्रत्येक भण्डार के नीलाम की समाप्ति के पश्चात प्रत्येक भण्डार के लिए प्राप्त सर्वोच्च नीलामी बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार करते हुए समिति के अध्यक्ष द्वारा परिणाम की घोषणा की जायेगी।
5. अन्तिम रूप से चुने गये सर्वोच्च बोलीदाता को सर्वोच्च बोली की सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त तत्काल जमा करना होगा अन्यथा की स्थिति में अर्नेस्ट मनी के रूप में उनके द्वारा जमा धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।
6. अर्नेस्ट मनी की धनराशि नीलामी में असफल बोलीदाता को नीलामी के अन्त में वापस कर दिया जायेगा सिवाय उसके जो अन्तिम रूप से चुने गये बोलीदाता द्वारा जमा किया गया हो, उसके मामलें में अर्नेस्ट मनी की धनराशि को सर्वोच्च बोली की धन राशि में समायोजित कर दिया जायेगा।
7. किसी भण्डार के लिए प्राप्त नीलामी की बोली/प्रस्ताव संतोषजनक नही पाये जाने पर जिलाधिकारी यथास्थिति उस भण्डार के लिए प्राप्त सभी बोलियों/प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकते है।
8. नीलामी की बोली/प्रस्ताव तब तक स्वीकृत नही समझा जायेगा जब तक जिलाधिकारी द्वारा उसे अनुमोदित न कर दिया जाय।
9. नीलामी की बोली प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाने पर सर्वोच्च बोलीदाता के पक्ष में स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा। स्वीकृति आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से भण्डारित लाल बालू/मोरम को हटाये जाने (विक्रय एंव परिवहन करने) हेतु निर्धारित समयावधि की गणना की जायेगी।
10. सर्वोच्च बोलीदाता को भण्डारित लाल बालू/मोरम के विक्रय एंव परिवहन हेतु जिला खनन कार्यालय, बलिया द्वारा नियमानुसार प्रपत्र–सी जारी किया जायेगा।
11. लाल बालू/मोरम को हटाये जाने (विक्रय एंव परिवहन) हेतु निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरान्त मौके पर उपलब्ध लाल बालू/मोरम पर राज्य सरकार का निरपेक्ष (Absolute) अधिकार होगा।
12. नीलामी धारक को सिर्फ भण्डारित खनिज के विक्रय एंव परिवहन करने का अधिकार होगा तथा नीलामी धारक द्वारा कोई खनन कार्य नही किया जायेगा।

Scanned by CamScanner